FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत जिला कलक्टर सीकर

NHAI बनाम भूमि अवाप्ति अधिकारी

किस्म मुकदमा अपील माध्यस्थम् मुकदमा नम्बर 119/2012

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
26-03-18	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील अपीलांट का कथन है कि भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना 3ए में भूमि की किस्म बारानी थी, फिर भी भूमि अवाप्ति अधिकारी ने भूमि की किस्म व्यवसायिक मानकर अवार्ड पारित किया है। वकील रेस्पोडेन्ट का कथन है कि भूमि का उपयोग मौके पर व्यवसायिक कार्य में हो रहा था। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा भी भूमि का मुआवजा उपयोग के आधार पर व्यवसायिक दर से किया गया है। अतः भूमि की किस्म का कोई विवाद किया जाना उचित नहीं है। खसरा नम्बर 1027 से सम्बन्धित इस न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 06/13 गीता देवी बनाम भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं 07/13 सूरजमल बनाम भूमि अवाप्ति अधिकारी का निस्तारण न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा में खसरा नम्बर 1027 से सम्बधित अन्य प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। अतः अब इस प्रकरण को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः तदानुसार अपील अपीलांट **खारिज** की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। जिला कलक्टर, सीकर **जिला कलक्टर, सीकर**	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner